न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास श्री बृजमोहन बैरवा आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 138/2022/अपील/एलआरएक्ट/कोटा
दायरा दिनांकः 09.06.2022
अन्तर्गत धाराः 75 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

1. बद्रीलाल आ0 कृपा शंकर
2. दिनेश आ0 कृपा शंकर
   जाति नन्दवाना निवासीगण सांगोद तहसील, सांगोद, जिला बारां

...अपीलांट्स

बनाम

1. नगर पालिका सांगोद जरिये अध्यक्ष, नगर पालिका सांगोद, तहसील सांगोद, जिला कोटा
2. नगर पालिका सांगोद जरिये अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका सांगोद, तहसील सांगोद, जिला कोटा
3. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार सांगोद, जिला कोटा राज0।

... रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित : श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता अभिभाषक –अपीलांट्स
श्री महेश कुमार तिवारी –रेस्पो0 क्र. 1 एवं 2
पेरोकार सरकार – रेस्पो0 क्र. 3

::निर्णय::

दिनांक 04.07.2024

अपीलांट्स ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांगोद (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 05/2022 बउनवान नगर पालिका सांगोद जरिये अधिशाषी अभियंता, सांगोद बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा में पारित निर्णय दिनांक 12.03.2022 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) के विरूद्ध प्रार्थना–पत्र 96 सीपीसी व धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ प्रथम अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांगोद को तहसीलदार सांगोद से इस आशय का प्रस्ताव प्राप्त हुआ कि पटवार मण्डल सांगोद की रिपोर्ट मय प्रस्तावित नक्शा व मौकानुसार ग्राम टोंक तहसील सांगोद के खसरा संख्या 161 रकबा 0.62 में से 0.28 हैक्टेयर दक्षिणी, खसरा संख्या 162 रकबा 0.36 में से 0.21 हैक्टेयर पश्चिमी व दक्षिणी व खसरा संख्या 226/165 रकबा 1.58 में से 0.05 हैक्टेयर पश्चिमी भूमि आमजन/कृषकगणों द्वारा आम रास्ते के रूप में उपयोग की जा रही है, जो स्थानीय निकाय नगरपालिका सांगोद के नाम राजस्व रिकोर्ड में अंकित हैं। उक्त खसरा संख्या की प्रस्तावित भूमि को राजस्व रिकोर्ड में "आम रास्ता" के रूप में दर्ज किया जाना उचित होगा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तावनुसार उपलब्ध रिकोर्ड, दस्तावेजों के आधार पर प्रकरण में आदेश दिनांक 12.03.2022 पारित कर ग्राम टोंक तहसील सांगोद के खसरा संख्या 161 रकबा 0.62 में से 0.28 हैक्टेयर दक्षिणी, खसरा संख्या 162 रकबा 0.36 में से 0.21 हैक्टेयर पश्चिमी व दक्षिणी व खसरा संख्या 226/165 रकबा 1.58 में से 0.05 हैक्टेयर पश्चिमी भूमि

अति. सं. आयुक्त

को प्रस्तावित नक्शानुसार राजस्व रिकॉर्ड में "गै.मु. रास्ता" स्थानीय निकाय नगर पालिका सांगोद के खाते में यथावत रखने का निर्णय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 12.03.2022 से व्यथित होकर अपीलांट्स द्वारा प्रथम अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र 96 सीपीसी व धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ इस न्यायालय मे इस आशय की पेश की गई कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश क्षेत्राधिकार के अभाव में शून्य है, विवादित भूमि नगर पालिका की आबादी भूमि है जिस पर भू–राजस्व अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होने से धारा 131, 132 के प्रावधान आबादी भूमि पर लागू नहीं होने से आदेश देने का क्षेत्राधिकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट्स को सूचना दिये बिना ही, सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही जेरअपील आदेश पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित होने से निरस्त किया जाने योग्य है। विवादित भूमि का कभी भी उपयोग रास्ते के रूप में नहीं लिया गया है तथा उक्त आराजी से लगी हुई समीपवर्ती खसरा संख्या 163 की कृषि भूमि स्थित है। भूमि खसरा संख्या 61 एवं 162 पर अपीलाट का कई वर्षों से निरंतर कब्जा चला आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने जेरअपील निर्णय पारित करने में त्रुटि की हैं। अपीलांट्स को दिनांक 17.05.2022 को पटवारी हल्का से उक्त निर्णय की जानकारी हुई तथा दिनांक 18.05.2022 को प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर अपील प्रस्तुत की गई हैं। अत: अपील प्रस्तुत करने की इजाजत देने के साथ अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कन्डौन करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का जेरअपील निर्णय 12.03.2022 निरस्त किये जाने की इस्तदुआ की गई।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स एवं रेस्पो0 अभिभाषक एवं पैरोकार सरकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराया तथा कथन किया कि विवादित भूमि नगर पालिका की आबादी भूमि है जिस पर भू–राजस्व अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होने से धारा 131, 132 के प्रावधान आबादी भूमि पर लागू नहीं होने से आदेश देने का क्षेत्राधिकार नहीं है। विवादित भूमि का कभी भी उपयोग रास्ते के रूप में नहीं लिया गया है तथा उक्त आराजी से लगी हुई समीपवर्ती खसरा संख्या 163 की कृषि भूमि स्थित है। भूमि खसरा संख्या 61 एवं 162 पर अपीलाट का कई वर्षों से निरंतर कब्जा चला आ रहा है। अपीलांट्स को दिनांक 17.05.2022 को पटवारी हल्का से उक्त निर्णय की जानकारी हुई तथा दिनांक 18.05.2022 को प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर अपील प्रस्तुत की गई हैं। अतः अपील प्रस्तुत करने की इजाजत देने के साथ अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कन्डौन करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का जेरअपील निर्णय 12.03.2022 निरस्त किये जाने का अनुरोध किया। अपने पक्ष के समर्थन में न्यायिक उद्धरण RRT 2020(1) पेज नं 91, RRD 1980 पेज नं 315, RRT 2018-19 (Supp.) पेज नं 145 एवं 2007(2) DNJ पेज नं 1130 पेश किये।

4 अभिभाषक रेस्पो0 ने अपनी बहस मे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपलब्ध रिकोर्ड, दस्तावेजों के आधार पर प्रकरण में आदेश दिनांक 12.03.2022 पारित कर राजस्व रिकॉर्ड में "गै.मु. रास्ता" दर्ज करने तथा उक्त रास्ते को स्थानीय निकाय नगर पालिका सांगोद के खाते में यथावत रखने का निर्णय पारित किया गया है, जो न्यायोचित है। अतः अपील खारिज करने का अनुरोध किया।

अति. सं. आयुक्त
कोटा

5 अपील पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत अपील प्रार्थना–पत्र 96 सीपीसी एवं प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ शपथ पत्र पेश कर अपील को अवधि मध्य मानी जाकर गुणावगुण के आधार पर निर्णत करने का अनुरोध किया। रेस्पो0 द्वारा प्रार्थना–पत्र 96 सीपीसी एवं प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में वर्णित तथ्यों का खण्डन नही किया गया ना ही खण्डन मे कोई प्रतिउत्तर ही पेश किया गया। लिहाजा इस स्टेज पर अपील अपीलांट को गुणावगुण पर सुना जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

6 हमने अपील एव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स एंव रेस्पो0 पर मनन किया। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख एंव आलौच्य जेरअपील निर्णय के अवलोकन से प्रकट होता है कि ग्राम टोंक तहसील सांगोद के वादग्रस्त खसरा संख्या 161 रकबा 0.62 में से 0.28 हैक्टेयर दक्षिणी, खसरा संख्या 162 रकबा 0.36 में से 0.21 हैक्टेयर पश्चिमी व दक्षिणी व खसरा संख्या 226/165 रकबा 1.58 में से 0.05 हैक्टेयर पश्चिमी भूमि मुताबिक पटवारी रिपोर्ट स्थानीय निकाय नगर पालिका, सांगोद के नाम दर्ज हैं। उक्त भूमि को आमजन/कृषकों के आवागमन हेतु आम रास्ते के उपयोग हेतु राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद करवाने हेतु रेस्पो0 क्र01 द्वारा प्रार्थना–पत्र अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांगोद द्वारा प्रस्ताव अनुसार उपलब्ध रिकोर्ड, दस्तावेजों के आधार पर प्रकरण में आदेश दिनांक 12.03.2022 पारित कर राजस्व रिकॉर्ड में "गै.मु. रास्ता" स्थानीय निकाय नगर पालिका सांगोद के खाते में यथावत रखने का निर्णय पारित किया गया हैं। अपीलांट्स का कथन है कि विवादित भूमि नगर पालिका की आबादी भूमि है जिस पर भू–राजस्व अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होने से धारा 131, 132 के प्रावधान आबादी भूमि पर लागू नहीं होने से आदेश देने का क्षेत्राधिकार नहीं है। विवादित भूमि का कभी भी उपयोग रास्ते के रूप में नहीं लिया गया है तथा उक्त आराजी से लगी हुई समीपवर्ती खसरा संख्या 163 की कृषि भूमि स्थित है। भूमि खसरा संख्या 61 एवं 162 पर अपीलांट का कई वर्षों से निरंतर कब्जा चला आ रहा है। वादग्रस्त खसरा संख्या 161 रकबा 0.62 में से 0.28 हैक्टेयर दक्षिणी, खसरा संख्या 162 रकबा 0.36 में से 0.21 हैक्टेयर पश्चिमी व दक्षिणी व खसरा संख्या 226/165 रकबा 1.58 में से 0.05 हैक्टेयर पश्चिमी भूमि मुताबिक पटवारी रिपोर्ट स्थानीय निकाय नगर पालिका, सांगोद के नाम दर्ज होने से अपीलांट्स बद्रीलाल एवं दिनेश का उक्त भूमि पर हित निहित नहीं होना प्रतीत होता हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में तथ्यों का समुचित परीक्षण कर उपलब्ध रिकोर्ड, दस्तावेजों के आधार पर जेरअपील निर्णय दिनांक 12.03.2022 पारित किया है, जिसमें हम किसी प्रकार का विधिक एवं तथ्यात्मक दोष नहीं पाते है। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित होने से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं है। परिणाम स्वरूप उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती हैं।

7 निर्णय आज दिनांक 04.07.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(बृजमोहन बैरवा)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा